



## छावनी परिषद् जतोग

टेलीफोन नम्बर: 0177-2837598

फैक्स नम्बर: 0177-2837598.

वेबसाइट : [www.cbjutogh.org](http://www.cbjutogh.org)

# अनुरक्षण/मुरम्मत कार्य का नाम : प्रकीर्ण सार्वजनिक सुधार (Miscellaneous Public Improvement)

वित्त वर्ष 2017-18(पुननिर्दिष्टित) 2018-19(मूल)

संख्या : छा०प०ज०/110/2017-18/193

दिनांक 20 /02/2018.

### संपूर्ण ई-निविदा दस्तावेज

क्रम सं .	विषय-वस्तु	विषय-वस्तु पृष्ठ सं.
1.	विषय-वस्तु	1
2.	निविदाएं आमंत्रित करने वाला नोटिस	2
3.	संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तें	3-4
4.	निविदा प्रस्तुत करने की पद्धति	5
5.	निविदा का खोला जाना	6
6.	बोली दाता की सामान्य जानकारी (1-एफ)	7
7.	तकनीकी बोली (bid)/पूर्व अपेक्षित अर्हता (कवर 1) के दस्तावेजों की जांचसूची	8
8.	छावनी परिषद् जतोग में फर्म के पंजीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	9
9.	प्रकीर्ण सार्वजनिक सुधारकवर-2 (बीओक्यू)	10

## निविदा सूचना

वित्त वर्ष 2017-18(पुनर्निर्दिष्ट) 2018-19(मूल) के लिए निम्नलिखित कार्य की मियादी संविदा हेतु निविदा फॉर्म में दिए हुए निबंधन व शर्तों के अनुसार निर्धारित तारीख को तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम पंजीकृत ठेकेदारों से दो-बोली प्रणाली <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> के तहत कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक निविदाकरण प्रणाली के माध्यम से ई-निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाती हैं। एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी, सी.पी.डब्ल्यू.डी, एम.ई.एस, आईपीएच, रेलवे के ठेकेदारों को ई-निविदा के लिए आवेदन करने से पहले छावनी परिषद्, जतोग में अपनी फर्म को पंजीकृत कराना होगा।

कार्य सं.	अनुरक्षण/मुरम्मत कार्य का नाम	प्राक्कलित खर्च (रु०)	बयाना राशि (अर्थात् प्राक्कलित खर्च का 2%) (रु०)	धरोहर राशि (अर्थात् प्राक्कलित खर्च का 5%) (रु०)	निविदा फॉर्म शुल्क (रु०)	संविदा की अवधि
1.	प्रकीर्ण सार्वजनिक सुधार	15,00,000/-	30,000/-	75,000/-	750/-	अनुबंध करार से एक वर्ष तक

(\* बजट प्राक्कलन (पुनरीक्षित) एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर राशि में वृद्धि या कमी हो सकती है )

### महत्वपूर्ण तारीखें:

1.	ई-प्रापण <a href="http://eprocure.gov.in/eprocure/app">http://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> के माध्यम से निविदा दस्तावेजों के प्रकाशित होने की तारीख एवं समय	20.02.2018 को 1645 बजे
2.	निविदा दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने के लिए तारीख एवं समय	20.02.2018 को 1700 बजे
4.	कवर 1 एवं 2 बोली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत करना शुरू करने के लिए तारीख एवं समय	21.02.2018 को 1000 बजे
5.	कवर 1 एवं 2 बोली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख एवं समय	13.03.2018 को 1700 बजे
6.	छावनी परिषद्, जतोग के कार्यालय में दस्तावेजों को ऑफलाइन जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय। प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और मूल प्रति ऑफलाइन जमा की जाएगी	14.03.2018 को 1030 बजे तक
7.	छावनी परिषद् जतोग में फर्म के पंजीकरण की तारीख एवं समय	12.03.2018 को 1500 बजे तक
8.	तकनीकी बोलियों (कवर 1) को खोलने की तारीख एवं समय	15.03.2018 को 1200 बजे
9.	वित्तीय बोलियों (कवर 2) को खोलने की तारीख एवं समय	15.03.2018 को 1600 बजे

## अनुबंध के सामान्य नियम एवं शर्तें

1. एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी, सी.पी.डब्ल्यू.डी, एम.ई.एस, आईपीएच, रेलवे के ठेकेदारों को ई-निविदा के लिए आवेदन करने से पहले अपनी फर्म को छावनी परिषद् जतोग में पंजीकृत कराना होगा।
2. फर्म (EPFO) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पंजीकृत होनी चाहिए।
3. छावनी परिषद् जतोग छावनी में पंजीकृत ठेकेदार ही इस निविदा में भाग लेंगे।
4. कार्य के लिए निविदा शुल्क रु० 750/- (सात सौ पच्चास रुपये मात्र) है जिसे, ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने से पहले नकद जमा रसीद (छावनी 4-बी) के रूप में छावनी परिषद्, जतोग के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और मूल प्रति नियत तारीखों के अनुसार ऑफलाइन जमा की जाएगी।
5. निविदा शुल्क अप्रतिदेय (non-refundable) होगा।
6. कृपया ध्यान दें कि उन्हीं अर्हता प्राप्त एवं पात्र ठेकेदारों के कवर सं. 2 (वित्तीय बोली/निविदा) को खोला जाएगा जो कवर सं. 1 (तकनीकी बोली) में प्रस्तुत अपने आवेदन के अनुसार अर्हता मानदंडों को पूरा करते हैं।
7. कार्य लिए रु० 30,000- (तीस हजार रुपये मात्र) का किसी भी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से एक मांग ड्राफ्ट, मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, जतोग के पक्ष में आहरित, निविदा के साथ बयाना राशि के रूप में भेजा जाना चाहिए, जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिलिपि ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और मूल प्रति नियत तारीखों के अनुसार ऑफलाइन जमा की जाएगी।
8. ठेकेदार को अपनी दरें उपर्युक्त प्रतिशत के अनुसार या अद्यतन संशोधित दर 2010 की एमईएस अनुसूची से कम उद्धरित करनी चाहिए।
9. निविदाएं छावनी परिषद्, जतोग के अनुमोदन के अधीन हैं, जो न्यूनतम दर निविदा को स्वीकार करने या किसी निविदा को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।
10. सफल ठेकेदार को अनुबंध दिए जाने के 07 दिनों के भीतर कार्य के लिए रु० 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) की धरोहर राशि मुख्य अधिशासी अधिकारी, जतोग के नाम सावधि जमा के रूप में जमा करानी होगी, जिसे अनुबंध समाप्त होने के छह माह बाद लौटाया जाएगा। यदि यह राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और उसकी निविदा को रद्द कर, परिषद् के अनुमोदन से दूसरे न्यूनतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को अनुबंध दे दिया जाएगा।
11. सफल ठेकेदार को निविदा की स्वीकृति के 07 दिनों के भीतर उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक करार करना होगा।
12. मुख्य अधिशासी अधिकारी की अनुमति से छावनी क्षेत्र से निकाले गए पत्थरों के लिए ठेकेदार को पत्थरों का अधिशुल्क (royalty) अदा करना होगा। देय अधिशुल्क छावनी परिषद् द्वारा निश्चित किया जाएगा।
13. सहायता अनुदान/आउट ऑफ सर्विस चार्ज के अधीन सरकार द्वारा मंजूर कार्य, सफल ठेकेदारों को दिया जाएगा, जिसके लिए पृथक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
14. छावनी परिषद्, जतोग किसी भी किस्म की कोई सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील इत्यादि की आपूर्ति नहीं करेगा।

15. ठेकेदार को वर्क ऑर्डर में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य को पूरा करना होगा। यदि वर्क ऑर्डर में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं होता है, तो ठेकेदार को कार्य पूरा होने तक प्रति दिन रु० 200/- का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना ठेकेदार के बिलों या जमा धरोहर राशि से वसूला जाएगा।
16. यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर, उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल रहता है, तो मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस कार्य को ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर किसी अन्य एजेंसी से पूरा करवाए तथा अतिरिक्त खर्च को ठेकेदार की धरोहर राशि से वसूले और यदि धरोहर राशि कम पड़ती है, तो ठेकेदार द्वारा शेष राशि का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा।
17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
18. ठेकेदार को पानी के लिए, निष्पादित हर दस हजार रुपये के कार्य के लिए रु० 10/- अदा करने होंगे, भले ही किसी कार्य विशेष में उसने पानी का प्रयोग किया हो या नहीं।
19. सरकारी नियमों के अनुसार ठेकेदार के बिल से आयकर एवं बिक्री कर की कटौती की जाएगी।
20. ठेकेदारों ध्यान दें कि उन्हें पत्थर के फर्श के साथ सड़कों/पगडंडियों का निर्माण और पत्थरों/ईंटों/सीमेंट/कॉन्क्रीट के साथ नालियों व नालों, सामूहिक शौचालयों का निर्माण एवं अन्य निर्धारित कार्य करने होंगे।
21. छावनी परिषद्/सीईओ के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है।
22. यह माना जाएगा कि किसी निविदाकार को सभी संगत दस्तावेजों, कार्य परिस्थितियों और ऐसी अन्य परिस्थितियों की पूरी जानकारी है, जो पूरे कार्य को प्रभावित करती हैं। छावनी परिषद् न्यूनतम दर निविदा को स्वीकार करने या न्यूनतम दर निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है।
23. जांचसूची में उल्लिखित किसी भी अनुलग्नक के बिना और नियत तारीख के बाद प्राप्त किसी भी मूल आवेदन/तकनीकी बोली (कवर 1) को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
24. यदि यह पाया जाता है कि कोई आवेदन उपर्युक्त किसी अपेक्षा को पूरा नहीं करता है, तो सीईओ/छावनी परिषद् को उस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।
25. दस्ती (manual) बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
26. जैसे ही फर्म को वर्क ऑर्डर दिया जाता है, ठेकेदार को तुरंत उस कार्य को शुरू करना अपेक्षित होगा।
27. किसी भी प्रकार की डाक संबंधी देरी या किसी दस्तावेज के प्रस्तुत करनेबोली प्रस्तुत - करने या ईप्राप्त/ करने के संबंध में लिंक खराबी इंटरनेट की समस्या इत्यादि के कारण देरी के लिए छावनी/(failure) परिषद्, जतोग जिम्मेदार नहीं है। यह बोलीकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि अपेक्षित दस्तावेजों बोली को समय पर प्रस्तुत किया जाए।-ई/
28. डिजिटल रूप से विधिवत् हस्ताक्षरित तकनीकी बोली और वित्तीय/मूल्य बोली, वेबसाइट पोर्टल [www.eprocure.gov.in/cppp/](http://www.eprocure.gov.in/cppp/) पर एक साथ प्रस्तुत की जाएंगी। निविदा दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और तकनीकी बोली/वित्तीय बोली को निविदा समय-अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
29. निविदाएं उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएं। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज अनुबंध का एक अभिन्न अंग हैं। निविदाकारों को,

निविदा में मांगे गए अनुसार, निविदा दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों को, निविदा नोटिस में दिए गए तारीख एवं समय के भीतर उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से अपलोड करना अपेक्षित है।

30. निविदाकार सावधानीपूर्वक दस्तावेजों को देखेंगे और अपेक्षित दस्तावेज तैयार करेंगे, और तकनीकी बोली की निर्धारित लोकेशन में पोर्टल पर, स्कैन किए गए दस्तावेजों को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (PDF) में अपलोड करेंगे। वह कार्य के लिए डाउनलोड किए निर्धारित सेल में दरें भरेगा और वित्तीय बोली के निर्धारित लोकेशन में इसे अपलोड करेगा।
31. अपलोड किए गए दस्तावेज वायरस स्कैन्ड होने चाहिए और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (DSC) का प्रयोग करते हुए डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए।
32. ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए, बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे स्वयं को आयकर अधिनियम 2003 के तहत प्राधिकृत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी क्लास-II/III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (DSC) के साथ [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) पर पंजीकृत कराएं।
33. विस्तृत ब्यौरे के लिए, कृपया सीपीपी पोर्टल पर वेबसाइट [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) देखें।
34. निविदा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले विभाग निविदा में संशोधन/शुद्धि-पत्र जारी कर सकता है। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे विभाग द्वारा जारी संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ निविदा दस्तावेजों को पढ़ें। निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज की विषय-वस्तु में स्याही या पेंसिल से कोई संशोधन/शुद्धिपत्र शामिल न करें। यदि निविदाकर्ता निविदा की विषय वस्तु में संशोधन/शुद्धिपत्र शामिल करता है, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा और विभाग द्वारा जारी संशोधन/शुद्धिपत्र लागू होंगे। इन दस्तावेजों में जारी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हैं, तो उसे वेबसाइट <http://www.eprocure.gov.in/eprocure/app> पर और साथ ही छावनी परिषद् की वेबसाइट [www.cbjutogh.org](http://www.cbjutogh.org) पर अपलोड कर दिया जाएगा। इन संशोधनों/शुद्धिपत्रों को देखने के लिए ठेकेदार समय-समय पर इन वेबसाइटों को देखेंगे।
35. बोलीकर्ताओं को निविदा दस्तावेजों में निर्धारित प्रत्येक शर्त पूरा करने के बाद ही संपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना चाहिए।
36. छावनी परिषद् जतोग/सीईओ के पास इस संबंध में बिना कोई कारण बताए निविदा खोले जाने की तारीख को स्थगित करने और/या आगे बढ़ाने या निविदा नोटिस को वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामलों में, बोलीकर्ता छावनी परिषद् से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। यह निविदा नोटिस अनुबंध करार का हिस्सा होगा।

### 37. निविदा प्रस्तुत करने की पद्धति

निविदाकारों को बोलियां अर्थात् तकनीकी बोली (कवर 1) और वित्तीय बोली (कवर 2) ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होंगी। तकनीकी बोली (कवर 1) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:-

#### I. तकनीकी बोली, तकनीकी बोली (कवर 1) में निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करें:-

- i. बोली दाता की सामान्य जानकारी ।
- ii बयाना राशि जमा (EMD) के लिए मांग ड्राफ्ट की स्कैन की हुई प्रति।
- iii पिछले तीन वर्षों में प्राक्कलित खर्च का 40 % के कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई

प्रति।

iv (EPF) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी।

v ठेकेदार द्वारा विधिवत् रूप से निविदा दस्तावेज की स्कैन की हुई हस्ताक्षरित प्रति।

vi. ठेकेदार द्वारा विधिवत् रूप से निविदा दस्तावेज की स्कैन की हुई हस्ताक्षरित प्रति।

## II. वित्तीय/मूल्य बोली (कवर 2)

क. BOQ \_ XXXX.xls/ BOQ..XXX.pdf पीडीएफ फॉर्म के रूप में वित्तीय/मूल्य बोली की अनुसूची।

BOQ शीट में छेड़छाड़/बदलाव न करें अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। केवल फर्म के नाम और प्रतिशत का उल्लेख करें, दरों में टैक्स शामिल होना चाहिए।

**38. जांच-सूची/तकनीकी बोली (कवर 1) में उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति सहित आवेदन-पत्र की मूल प्रति को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय 14.03.2018 को 1030 बजे है। कवर 1 सीलबंद होना चाहिए और मुख्य अधिशासी अधिकारी, जतोग छावनी को संबोधित होना चाहिए। निविदाकार को, लिफाफे पर, उस कार्य का नाम लिखना आवश्यक है, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।**

## 39. निविदा का खोला जाना

**I. तकनीकी बोली (कवर 1):** तकनीकी बोली छावनी परिषद्, जतोग के कार्यालय में मुख्य अधिशासी अधिकारी/निविदा समिति (निविदा खोलने वालों) की उपस्थिति में खोली जाएगी। निविदा खोले जाने के समय कोई या सभी प्रतिभागी अथवा उनके एजेंट मौजूद रह सकते हैं; यदि कोई कोई प्रतिभागी या उसका एजेंट अनुपस्थित हो, तो भी निर्धारित समय पर निविदा खोली जाएगी। तकनीकी बोली पहले ऑनलाइन खोली जाएगी ताकि अपेक्षानुसार इसकी विषय-वस्तु की जांच की जा सके। यदि इसमें निहित विविध दस्तावेज छावनी परिषद् जतोग छावनी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, तो ठेकेदार की वित्तीय बोली पर आगे की कार्रवाई के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**II. वित्तीय बोली (कवर 2):** इसे तभी खोला जाएगा जब जांच-सूची के अनुसार ऑनलाइन अपलोड की गई तकनीकी बोली (कवर 1) की विषय-वस्तु छावनी परिषद्, जतोग द्वारा स्वीकार्य हो और नियत तारीखों के अनुसार मूल प्रतियों को छावनी परिषद् जतोग के कार्यालय में ऑफलाइन प्रस्तुत कर दिया गया हो। केवल उन निविदाकारों की वित्तीय बोली को निविदा नोटिस में घोषित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा, जिन्होंने तकनीकी बोली (कवर 1) में अर्हता प्राप्त की हो और कार्यालय में दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत की हो। यदि वित्तीय बोली अर्थात् BOQ को “दस्तावेज विकोडन (decryption) असफल” के कारण नहीं खोला जा सका हो, और यदि कम से कम तीन वित्तीय बोलियों अर्थात् BOQ को सफलतापूर्वक खोला जा चुका हो, तो निविदा पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। असफल बोली/बोलियों को खारिज माना जाएगा।

मुझे उपर्युक्त शर्तें मंजूर हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

## बोली दाता की सामान्य जानकारी (एफ-1)

1	नाम	
2	फर्म का नाम	
3	पता	
4	पैन नंबर	
5	जी.एस.टी. नंबर	
6	मोबाइल नंबर	
7	ई-मेल आई डी	
8	निविदा फॉर्म शुल्क की नकद जमा रसीद (छावनी 4-बी)	
9	फर्म के पंजीकरण की नकद जमा रसीद (छावनी 4-बी)	

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

तकनीकी बोली (bid)/पूर्व अपेक्षित अर्हता (कवर 1) के दस्तावेजों की जांचसूची

क्रम सं.	मद/दस्तावेज	विवरण	अपलोड किया गया (हां/नहीं)
1.	बोली दाता की सामान्य जानकारी ( page -7)		
2.	बयाना राशि जमा (EMD) के लिए मांग ड्राफ्ट की स्कैन की हुई प्रति		
3.	पिछले तीन वर्षों में प्राक्कलित खर्च का % 40के कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र- की स्कैन की हुई प्रति ।		
4.	(EPF) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी के साथ नवीनतम तीन महीने चालान की प्रतियां		
5.	निविदा दस्तावेज स्कैन की हुई हस्ताक्षरित प्रति (pg 2-6)		
6.	जांचसूची की स्कैन की हुई हस्ताक्षरित प्रति (pg -8)		

नोट: सभी दस्तावेज स्व-साध्यांकित होने चाहिए।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



## छावनी परिषद् जतोग में फर्म के पंजीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

क्रम सं .	मद/दस्तावेज
1.	पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र
2.	स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड की फोटोकॉपी
3.	एमईएस/सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी और रेलवे से उपयुक्त वर्ग/श्रेणी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी
4.	जी.एस.टी. (GST) के लिए बिक्री कर विभाग से पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी
5.	पता प्रमाण-पत्र (Address Proof) की फोटोकॉपी
6.	इस आशय का शपथ पत्र कि फर्म/ठेकेदार का नाम विधिवत् रूप से किसी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है

*नोट: पंजीकरण के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल प्रति लेकर आएं।*

छावनी परिषद् जतोग में फर्म के पंजीकरण की तारीख एवं समय : 12.03.2018. को 1500 बजे तक

Sd/xxx

मुख्य अधिशासी अधिकारी, जतोग  
सुश्री तनु जैन